


25.04.2024:-पत्रावली पेशी में आई। वादी वकील उपस्थित नहीं आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official


सहायक कलक्टर
एवं उपसूचनाधिकारी
हनुमानगढ़

